लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
084/2022 (GCMS 2022/405)	17.11.2022	29.11.2022

अनवान

बाबूलाल टेलर निवासी ए–101, गांधीनगर, सेक्टर नंबर 5, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मो.नं.9460057352)

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोर्डेट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 08.10.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./084/2022(सू.अ.)(29.11.2022)/862 दिनांक 18.11.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 29.11.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 29.11.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने नियत दिनांक को उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र अपना पक्ष रखा कि उसे आदिनांक तक वांछित सूचनाऐं प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध कराने का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/863 दिनांक 28.11.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी बाबूलाल टेलर निवासी ए–101, गांधीनगर, सेक्टर नंबर 5, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 08.10.2022 को प्रस्तुत आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 10.10.2022 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर से संबंधित होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/382 दिनांक 17.10.2022 से उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ को भिजवाया गया हैं, तथा प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना विधिवत् तैयार कर सीधे ही प्रार्थी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया हैं तथा उक्त पत्रांक से प्रार्थी को भी सूचना से अवगत करवा दिया गया हैं।
3. अतः उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा श्रीमान् को प्रस्तुत अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

उपखण्ड अधिकारी भदेसर से आदिनांक तक कमेण्ट्स अप्राप्त। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/863 दिनांक 28.11.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके साथ ही अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेंन्ट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/382 दिनांक 17.10.2022 से उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ को वांछित सूचना नियमानुसार तैयार कर नियत समयावधि में प्रार्थी को सीधे ही उपलब्ध करवा पालना रिपोर्ट से कार्यालय को अवगत कराने हेतु लिखा गया। परन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक प्रार्थी के आवेदन से वांछित सूचनाऐं उसे उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो सर्वथा अनुचित प्रतीत होता हैं। साथ ही उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा न्यायालय के समक्ष भी आदिनांक तक कमेंण्ट्स प्रेषित नहीं किए गए है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनके स्तर पर प्रार्थी के आवेदन के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य कि उसे निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं हुई है, उचित प्रतीत होता हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा 15 दिवस में प्राप्त कर अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए वांछित सूचनाओं की एक प्रति इस न्यायालय को भी प्रेषित करावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़, उपखण्ड अधिकारी भदेसर एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.11.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)